28/3/2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं परोक्षा सरकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी के दस्तावेज प्रमाणित नक्शा पेश प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया जावें। बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गयी।

2020/00296

संक्षेप में विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के एवं अन्य के संयुक्त खाते की कृषि भूमि ग्राम ...वा में खा.नं. 1508 रकबा 1.42 हैक्टेयर स्थित है।

प्रार्थी अपनी स्वामित्व की कृषि भूमि पर विपक्षीगण की खसरा संख्या 1513 रकबा 0.53 है., 1514 रकबा 0.57 है., 1509 रकबा 0.75 है. तथा खसरा नं. 1510 रकबा 0.49 है. में होते हुए सदैव आते जाते रहे हैं तथा प्रार्थी अपनी बैलगाड़ी, मवेशी, ट्रैक्टर आदि लाते ले जाता रहा है। विपक्षी अन्य आराजी

— लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:27:41 IST
Reason: SelfAttested

(... ...)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)**

बनाम

[कार्य]वाही अन्तर्गत

[नाम] मुकदमा प्रा० पत्र नं. 164 सन् 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | सरहद 1513, 1514, 1509, 1510 श्री नाथजी स्थान देह खातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। | |
| | प्रार्थी के स्वामित्व - आधिपत्य की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु कोई भी वैध एवं रेकार्डेड रास्ता विद्यमान नही है। प्रार्थी को कदीमी रास्ते विद्यमान गाडी गडार के रास्ते मे अपने कृषि भूमि मे ट्रेक्टर, बैलगाडी मवेशी आदि ले जाने मे परेशानी हो रही है इसलिए प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रार्थी निर्धारित राशि (विपक्षीगण) को अदा करने को तत्पर व तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सावा की आ० नं० 1513, 1514, 1509, 1510 मे रास्ते को रेवेन्यु रेकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे। | |
| | प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 उपस्थित नही हुए [illegible] की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब [illegible] के जरिए पत्रांक/राजस्व/2022/30 [illegible] से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। बहस उभयपक्ष | |
| | -- लगातार | |

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:27:41 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में तामील |
|---|---|---|
| | सुनी गयी।<br>तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपनी आराजीयात पर आने जाने के लिए आ.नं. 1510, 1511, 1512 जो श्रीमान जी स्थान देह के नाम पर है उसी में से कई वर्षों से आना जाना बताया गया। मौके पर की भूमि लगभग 20 वर्षों से पड़त पड़ी हुई है। उपरोक्त रास्ता निकालना उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नजदीकी नहीं है। आ.नं. 1510 में लम्बाई 100 मी. x 2 मी., आ.नं. 1511 में लम्बाई 75 मी x 2 मी. आ.नं. 1512 में लम्बाई 20 x 2 मी. कुल 0.04 हे. रास्ता दिया जाता है तो डी.एल.सी. अनुसार राशि 57672.00 रुपए बनती है।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन। अधिवक्ता का उभय पक्ष पर गहनता से मनन किया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट उचित प्रतीत होती है। अतः इस रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम [illegible] स्थित आ.नं. 1508 रकबा 1.42 हे. भूमि पर आने-जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज आ.नं. 1510, 1511, 1512 में से 0.04 हे (मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार) भूमि की डी.एल.सी. अनुसार कीमत 57672.00 रुपए के दो गुना राशि 1,15,344.00 रुपए अक्षरे एक लाख पन्द्रह हजार तीन सौ चवालीस रुपए का विपक्षी संख्या 1 को भुगतान प्राप्त करने पर आ.नं. 1510, 1511, 1512 में से 0.04 हे. जो विपक्षी [illegible] इस रास्ते की स्वीकृति दी जाती है। [illegible] को किस्म रास्ता दर्ज [illegible] जाता।<br><br>(श्याम सुन्दर बिश्नोई)<br>सहायक कलेक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी<br>चित्तौड़गढ़ (राज.) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:27:41 IST
Reason: SelfAttested

| ीख<br>म्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राशि 115345.00 रुपए का भुगतान हेतु आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के नाम का ड्राफ्ट प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर ड्राफ्ट, निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है, कि प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ प्रेषित कर लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान के पश्चात निर्णयानुसार प्रस्तावित रास्ता को रेकार्ड में ~~[illegible]~~ अमलदरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>निर्णय लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।<br><br>(श्याम सुन्दर बिश्नोई)<br>सहायक कलेक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी<br>चित्तौड़गढ़ (राज.) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:27:41 IST
Reason: SelfAttested